


कार्यालय कलेक्टर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश

कर्मोंक / 361 / सां.लि. / 2020

दुर्ग, दिनोंक 15 अप्रैल 2020

लॉकडाउन की अवधि में फल-सब्जी इत्यादि के परिवहन पर कोई रोक नहीं है। फल-सब्जी का परिवहन करने बाबत थोक व्यापारी बड़ी संख्या में दुर्ग ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों से सामान क्रय कर ले जाते हैं। परिवहन गाड़ियों के साथ व्यवस्था के लिए कुछ मजदूरों का रहना आवश्यक है। इन मजदूरों को चिन्हांकित कर परिवहन गाड़ियों के साथ आवागमन हेतु अनुमति जारी करने बाबत अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग / धमधा / पाटन को अधिकृत किया जाता है।




(अंकित आनंद)
कलेक्टर, दुर्ग

पृ. कर्मोंक / 362 / सां.लि. / 2020
प्रतिलिपि:-

दुर्ग, दिनोंक 15 अप्रैल 2020

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग / धमधा / पाटन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



कलेक्टर,
दुर्ग